



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3175/2026

Mukesh Bhanbhu S/o Sharvan Kumar, Aged About 28 Years, R/o Govindpura Hardayalpura, P.s Fatehpur, Distt. Sikar. At Present House No. 22 Balaji Vihar, Vaishali Nagar, P.s Karni Vihar, Distt. Jaipur And 1746 Redia Market, Nehru Bazar, Chouda Rasta, Jaipur. (The Petitioner Is Confined In Distt. Jail, Barmer)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2847/2026

Devendra Nehra S/o Gorkha Ram, Aged About 35 Years, R/o Gali Number 3 Gandhi Nagar Barmer Tehsil And District Barmer. (At Present Lodged In Dist. Jail Barmer)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Hasti Mal Saraswat Mr. Jitendra Ojha
For Respondent(s)	:	Mr. Sameer Pareek, PP Mr. Bhanwar Lal Dudy

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

25/03/2026

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से जमानत के पृथक-पृथक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना कोतवाली, जिला बाड़मेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 71/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 308(5) भारतीय न्याय संहिता के मामले में प्रस्तुत हुए हैं।
2. मैंने बहस जमानत आवेदन पत्रों पर सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।



3. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण की ओर से यह तर्क दिया गया कि इस मामले में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। जमीन के कागाजात को लेकर आपसी विवाद है, जिसका मुकदमा बढ़ाचढ़ाकर लिखाया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 20.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण आदतन अपराधी नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः इस आधार पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

4. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता मुस्तगीस ने उक्त जमानत आवेदन पत्रों का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी-अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्रों को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा केस डायरी का अवलोकन किया। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

6. परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के जमानत आवेदन पत्रों को स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **01. मुकेश पुत्र श्रवण कुमार, 02. देवेन्द्र पुत्र गोरखाराम**, उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्येक अभियुक्त अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J